

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

प.4(71)वित्त-1(1)आय.व्य/2014

जयपुर, दिनांक : 27/02/17

स्वीकृति संख्या:- 752/2016-17

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में राशि रुपये 1562.65 लाख के हस्तांतरण बाबत।


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/ सीटीएडी /एससीए प्रस्ताव /2016-17 स्वीकृति सं. 55/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 381.46 लाख, स्वीकृति सं. 56/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 149.67 लाख, स्वीकृति सं. 54/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 838.58 लाख एवं स्वीकृति सं. 63/2016-17 दिनांक 16.02.2017 राशि रु. 192.94 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में कुल राशि रुपये 1562.65 लाख (अक्षरे रुपये पंद्रह करोड़ बांसठ लाख पैंसठ हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

2225	- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	
02	- अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	
796	- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
(02)	- जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायता अनुदान	
[51]	- पशुपालन परियोजना (विकेस)	
12	- सहायता अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	राशि रु. 531.13 लाख मात्र
[54]	- कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण वितरण (विकेस)	
12	- सहायता अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)	राशि रु. 838.58 लाख मात्र
(21)	- माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)	
[12]	- माँ-बाडी केन्द्रों का संचालन	
12	- सहायता अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	राशि रु. 192.94 लाख मात्र
		<u>योग राशि रु. 1562.65 मात्र</u>


उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3 अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग जयपुर।
- 5 अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
- 6 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग
- 7 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)